

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2017/डी-2/50

दिनांक:- 22/9/24 7

श्री योगेश धानुका,
बहैसियत निदेशक,
मैसर्स धानुका रियल्टी लि.,
द सोलिटियर, पांचवी मंजिल,
सी-212, 213, गौतम मार्ग, हनुमान नगर,
वैशाली नगर, जयपुर।

विषय :- भूखण्ड खसरा नम्बर 1868/2, 1868/3, 1868/4, ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर के प्रस्तावित
आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन संबंधित।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2016 के संदर्भ में जो प्रस्ताव भूखण्ड खसरा नम्बर 1868/2, 1868/3, 1868/4, ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर में स्थित भूखण्ड (2348.39 वर्गमीटर) पर बेसमेन्ट मय स्टिल्ट + 35.28 मीटर = 36.68 मीटर ऊँचाई (बेसमेन्ट + भूतल + 12 मंजिल) के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के मानचित्र भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 187वीं बैठक दिनांक 26.10.2016, 191वीं बैठक दिनांक 20.04.2017 एवं 196वीं बैठक दिनांक 05.09.2017 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 187वीं बैठक दिनांक 26.10.2016, 191वीं बैठक दिनांक 20.04.2017 एवं 196वीं बैठक दिनांक 05.09.2017 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनापत्ति क्रमांक JAIP/NORTH/B/102916/179075 दिनांक 29.10.2016 के अनुसार) दिनांक 28.10.2021 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित उपायुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन-12 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संबंधित उपायुक्त जोन 12 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे तथा इसकी सूचना संबंधित उपायुक्त जोन को देगा।

15. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
16. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
17. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
18. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) रखे जावे तथा इनको संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहें।
19. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
21. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. प्रसंगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
24. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण व्योरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
25. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगाये जावें।
26. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
27. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (10 मानचित्र)


20/9/17

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (10 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (10 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (10 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक-बीपीसी (बी.पी.), जयपुर, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (10 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि. विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेलवे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अनुमति प्राप्त है कि इस योजना/प्रकल्प को अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।

यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।

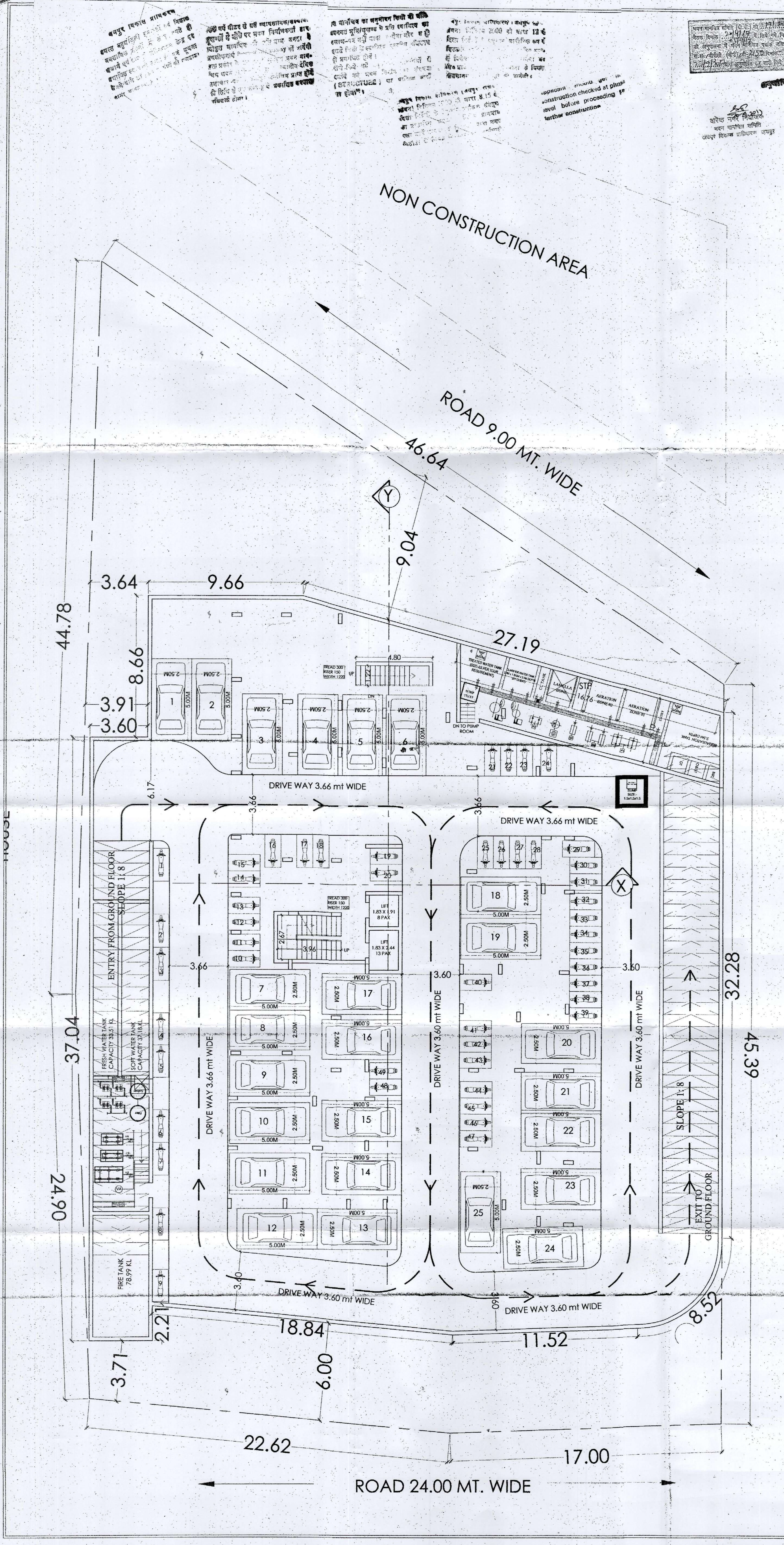
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।

यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।

यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।

यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।
यह योजना/प्रकल्प अंतिम रूप में स्वीकार किया जाय।

SHEET NO. - 02
DRAWING TITLE :-
BASEMENT FLOOR PLAN
20/09/17
अतिरिक्त मूलांक नियोजक
अतिरिक्त मूलांक नियोजक
अतिरिक्त मूलांक नियोजक



PROJECT TITLE :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS
PLOT KHASRA NO
1868/2, 1868/3 & 1868/4
IN VILLAGE SIRSI TEHSIL
JAIPUR
ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associate
architects interior designers planners
33, Dhuleswar Garden,
Jaipur, (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 5125444
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com
DRAWING TITLE :-
BASEMENT FLOOR PLAN
SCALE 1:100
DATE MAY, 2017
DEALT BY
STATUS SUBMISSION
ARCHITECTS SIGN
RICKY MATHUR
CA-24247
CLIENT'S SIGN
For Dhanuka Realty Limited
Director
SHEET NO. - 02
NORTH -

DRAWING TITLE :-
STILT FLOOR PLAN

14/17 के दोहे एवं निर्णय
5/9/17
(वीरी)/डी-2150 दिनांक...
पुनः अनुसंधान कर जारी किये गये।

वारेष्ठ नगर निरीक्षक
भवन गानादिन सभित
जयपुर विकास प्राधिकरण

20/9/12
तिरुविक्कं मुख्य नगर निगम
भवन मानदिव्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

S. NO.	STILT FLOOR CALCULATION		
1	STILT FLOOR AREA = 772.0550. MTR.		
	STILT FLOOR PARKING AREA = STILT FLOOR B.U.A. - LIFE + FIRE ESCAPE + MAIN STAIRS + RAMP + LOBBY + CLUB AREA + HALL, LOUVE = 772.05 7.94+13.21+28.07+6.69+20.33+113.19+3.85-772.05= 193.25 +578.00 SQ. MTR.		
2	PERMISSIBLE CLUB AREA = 20% OF STILT PARKING AREA = 579.70 SQ. MTR. [STILT FLOOR PARKING AREA] X 20% = 115.76 SQ. MTR.		
3	PROPOSED CLUB AREA		
	FLOOR	CLUB AMENITIES	B.U.A.
	GROUND	MULTI PURPOSE HALL +INDOOR GAMES	113.19 SQ. MTR.

**PROPOSED RESIDENTIAL FLATS
PLOT KHASRA NO
1868/2,1868/3&1868/4
IN VILLAGE SIRSI TEHSIL
JAIPUR**

ARCHITECTS

Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 5125444
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

DRAWING TITLE -:

STILT FLOOR PLAN

SCALE 1:100 DATE MAY 2017

DEALT BY	STATUS SUBMISSION
----------	-------------------

ARCHITECT'S SIGN.

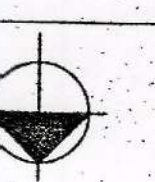
RISKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.

For Dhanya Realty Limited
Director

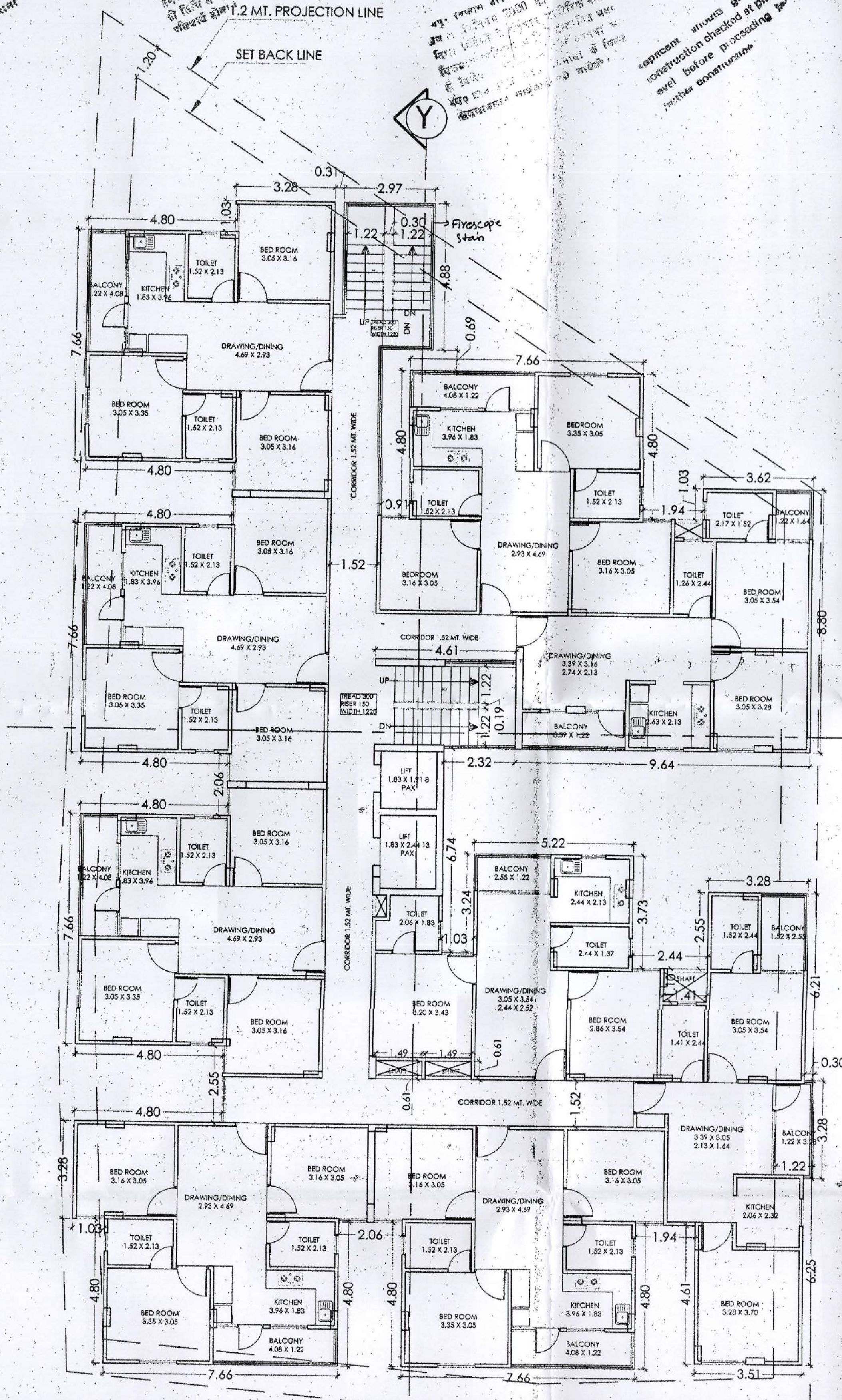
SHEET NO. - 03

NORTH -



जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर नगर निगम
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर नगर निगम
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर नगर निगम

यह योजना का अनुमति पत्र जारी किया गया है
 जयपुर नगर निगम के अधिनियम 1973 के अन्तर्गत
 जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिनियम 1973 के अन्तर्गत
 जयपुर नगर निगम के अधिनियम 1973 के अन्तर्गत
 जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिनियम 1973 के अन्तर्गत



SHEET NO. - 04
 DRAWING TITLE:
 TYPICAL FLOOR PLAN
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर नगर निगम
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर नगर निगम

जयपुर नगर निगम
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर नगर निगम
 जयपुर विकास प्राधिकरण

PROJECT TITLE:
 PROPOSED RESIDENTIAL FLATS
 PLOT KHASRA NO
 1868/2, 1868/3 & 1868/4
 IN VILLAGE SIRSI TEHSIL
 JAIPUR

ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associates
 architects interior designers planners
 33, Dhuleshwar Garden,
 Jaipur, (RAJ.) India. 302 001
 Tel: 91-141-2362688, 5125444
 Fax: 91-141-4008700
 e-mail: ricky@rickymathur.com

DRAWING TITLE:
 TYPICAL FLOOR PLAN
 (1ST TO 12 TH. FLOOR)

SCALE: 1:100
 DATE: MAY, 2017
 DEALT BY: STATUS: SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.
RICKY MATHUR
 CA-24247

CLIENT'S SIGN.
Fon Dhanuka Realty Limited
 Director

SHEET NO. - 04
 NORTH -

भवन मानविक समिति (बी.पी.) को 19/9/1962 को
 एक दिनांक 20/9/17 के लिये भवे निर्णय
 की अनुपालना में भवन मानविक भनांक जयप्रा,
 सं.स./बीपीसी (बीपी.) डी-2150 दिनांक.....
 22/9/17 द्वारा अनुमोदित कर जारी कि (अपे)

अनुसार

20/9/11

वारंछ नगर नियोजक
भवन गानाचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजन
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PROJECT TITLE:

**PROPOSED RESIDENTIAL FLATS
PLOT KHASRA NO
1868/2,1868/3&1868/4
IN VILLAGE SIRSI TEHSIL
JAIPUR**

ARCHITECTS

Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 5125444
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

DRAWING TITLE -:

TERRACE FLOOR PLAN

SCALE 1:100

DATE MAY 2017

DEALT BY:	
-----------	--

STATUS	SUBMISSION
--------	------------

ARCHITECT'S SIGN.

RICKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN _____

For Dhanuka Realty Limited

[Signature]
Director

SHEET NO. - 05

NORTH



DRAWING TITLE :-
ELEVATION (FRONT & REAR SIDE)

DATE: 29/01/17
BY: RICKY MATHUR
CHECKED BY: RICKY MATHUR

PROJECT TITLE :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS
PLOT KHASRA NO
1868/2, 1868/3 & 1868/4
IN VILLAGE SIRSI TEHSIL
JAIPUR

ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur, (RAJ.) India, 302 001
Tel: 91-141-2362688, 5125444
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

DRAWING TITLE :-
FRONT & REAR SIDE ELEVATION

SCALE 1:100
DATE MAY, 2017

DEALT BY
STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.
RICKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.
For Dhanuka Realty Limited
Director

SHEET NO. - 06
NORTH -

MACHINE ROOM TOP
+47.43 mt. Lvl.
WATER TANK
+44.88 mt. Lvl.
MUMTY TOP
+42.88 mt. Lvl.
TERRACE FLOOR
+39.88 mt. Lvl.
12th FLOOR
+36.73 mt. Lvl.
11th FLOOR
+33.79 mt. Lvl.
10th FLOOR
+30.84 mt. Lvl.
9th FLOOR
+27.80 mt. Lvl.
8th FLOOR
+24.95 mt. Lvl.
7th FLOOR
+22.01 mt. Lvl.
6th FLOOR
+19.07 mt. Lvl.
5th FLOOR
+16.13 mt. Lvl.
4th FLOOR
+13.18 mt. Lvl.
3rd FLOOR
+10.24 mt. Lvl.
2nd FLOOR
+7.29 mt. Lvl.
1st FLOOR
+4.35 mt. Lvl.
STILT FLOOR
+0.80 mt. Lvl.
ROAD LVL
± 00.00 MT Lvl.

approx. ground level
construction checked at plumb
level before proceeding to
further construction

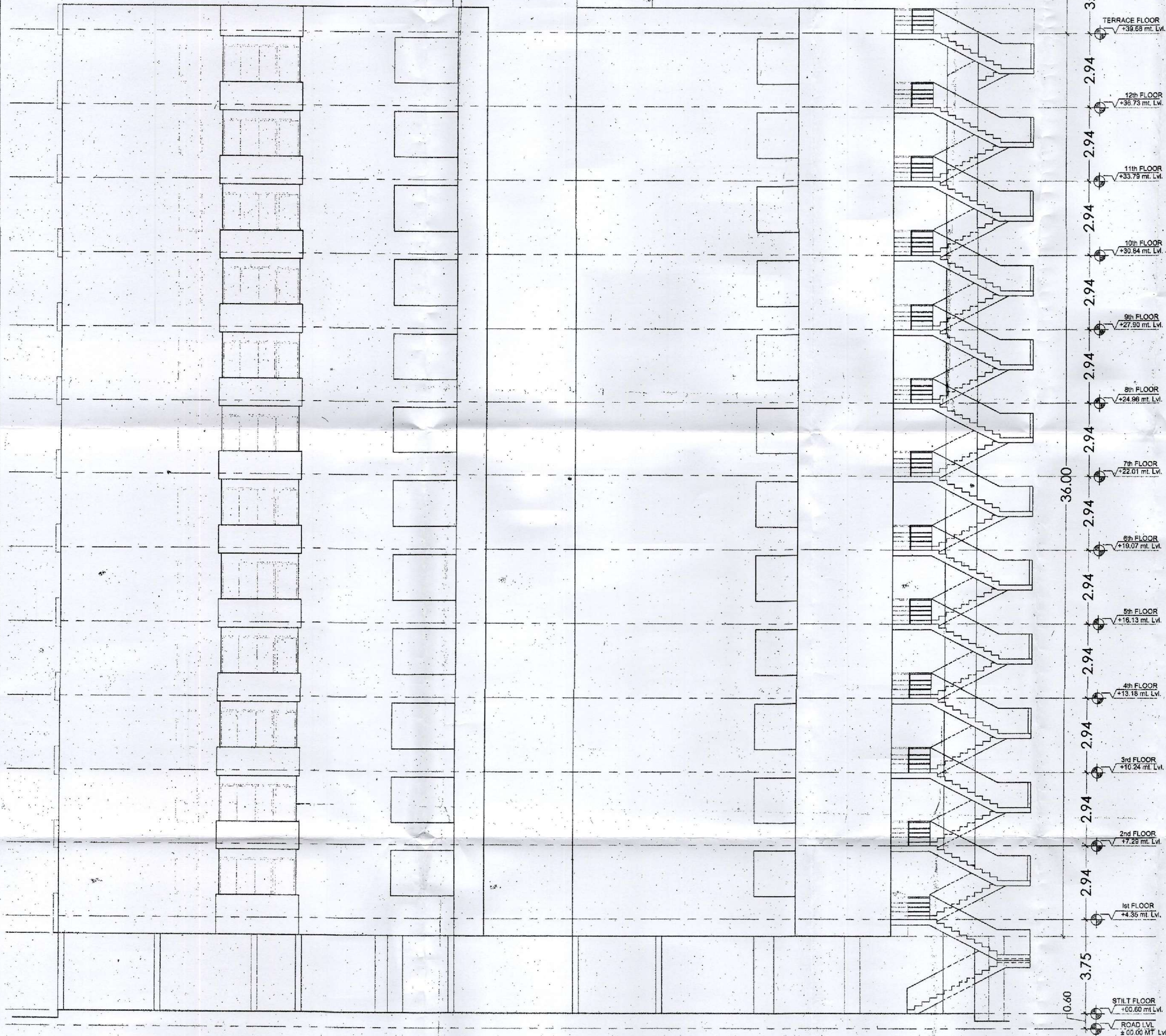
FRONT SIDE ELEVATION

REAR SIDE ELEVATION

[illegible][illegible]

१. विद्यार्थी प्रमाणपत्र । जयपुर जिला
 २. आय : २००० की यात्रा १३ के
 ३. विद्यालय : २००० की यात्रा १३ के
 ४. विद्यालय : २००० की यात्रा १३ के
 ५. विद्यालय : २००० की यात्रा १३ के
 ६. विद्यालय : २००० की यात्रा १३ के
 ७. विद्यालय : २००० की यात्रा १३ के
 ८. विद्यालय : २००० की यात्रा १३ के
 ९. विद्यालय : २००० की यात्रा १३ के
 १०. विद्यालय : २००० की यात्रा १३ के

construction checked at plant
aval before proceeding to
construction

[illegible][illegible]

RIGHT SIDE ELEVATION

SHEET NO. - 07

DRAWING TITLE :-

ELEVATION _____

अधिन मानवित्व सप्टिमी 1 को 1971-72
 कैलस दिनांक 20/4/77 नै लिखे गये निम्न
 कऽ अनुपालना नै गवस मानवित्व पत्रांक जागिरा
 स.स. बीपीसी (बीपी) डी-2150 दिनांक.....
 22/9/77 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

अनुसूची

पारितोषिक नगर नियोजक अधिकारी मुख्यालय नगर नियोजक
भवन मन्त्रालय समिति भवन मन्त्रालय समिति
अध्यापक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय जयपुर जयपुर

PROJECT TITLE :

**PROPOSED RESIDENTIAL FLATS
PLOT KHASRA NO
1868/2,1868/3&1868/4
IN VILLAGE SIRSI TEHSIL
JAIPUR**

ARCHITECTS

Ricky Mathur & Associates

architects interior designers planners

33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur, (R.A.) India - 302 001

Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 5125444

Fax: 91-141-4008700

e-mail: ricky@rickymathur.com

DRAWING TITLE :-

RIGHT SIDE ELEVATION

SCALE 1:100

DATE MAY. 2017

DEALT BY . .

STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.

RICKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.

For Phanuka Realty Limited

John *Smith*
Director

SHEET NO. - 07

NORTH -	
---------	--

जयपुर विकास प्राधिकरण
भवन बहुमंजरी इमारतों एवं विस्तार
संबंधित नगरपालिका में आज पत्र लिखते हैं
आज के पत्र में हमें जयपुर विकास प्राधिकरण
के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से
जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से

जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से
जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से
जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से
जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से
जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से

जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से
जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से
जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से
जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से
जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से

Applicant should get the
construction checked at plot
level before proceeding for
further construction

SHEET NO. - 08

DRAWING TITLE :-
ELEVATION

भवन वास्तुविज्ञ संस्थान (प्रा.) लि. 19/1/2017
वेबक विभाग 20/9/17
य.स./वी.सी. 2152, विभाग
20/9/17
आप अनुमति कर जारी करने के लिए

अनुमति

वास्तु विभाग
भवन वास्तुविज्ञ संस्थान
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



LEFT SIDE ELEVATION

PROJECT TITLE :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS
PLOT KHASRA NO
1868/2, 1868/3 & 1868/4
IN VILLAGE SIRSI TEHSIL
JAIPUR

ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur, (RAJ.) India. 302.001
Tel: 91-141-2362688, 5125444
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

DRAWING TITLE :-
LEFT SIDE ELEVATION

SCALE 1:100 DATE MAY, 2017
DEALT BY STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.
RICKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.
For Dhanuka Realty Limited
Director

SHEET NO. - 08 NORTH

DRAWING TITLE -:

SECTION 79/25/1967

अनुसूचित

४४
 २०/१/२०१७
 वारेड नगर निर्यात
 मध्य मानचित्र
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

२०/१/१७
 आतिथिक
 मध्य मानचित्र
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

ARCHITECTS

Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners

33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 5125444
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com



DRAWING TITLE -

SECTION Y-Y

SCALE 1:100 DATE MAY. 2017

DEALT BY	STATUS SUBMISSION
----------	-------------------

ARCHITECT'S SIGN.

RICK MATHIAS
CA-24247

CLIENT'S SIGN.

For Dhanuka Realty Limited

SHEET NO. - 10

NORTH

[illegible][illegible][illegible]

should get 1st
construction checked at pilot
level before proceeding
the construction

[illegible]

SECTION Y-Y'